बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः— 2/अ0प्र0—1—86/2016 1685 /पटना, दिनांक :— 2/11/2020

श्री पुनेश्वर रजक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बांका के पदस्थापन काल में दो योजनाओं यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाअन्तर्गत कार्यान्वित "टी0—4 देवैया से बज्जडीह भाया शिवनचक पथ (पैकेज सं0—BR-03R-320)" एवं पी0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत धोरैया सन्हौला पी0डब्लू0डी0 पथ से लौंगाय तक निर्मित पथ में अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत क्रमशः संकल्प सं0—140 दिनांक—22.01.2019 एवं संकल्प सं0—570 दिनांक—06.09.2019 के द्वारा मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन दो अलग—अलग विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री रजक के विरूद्ध प्रथम योजना से संबंधित आरोप पत्र में दो आरोप गठित किये गये। आरोप संख्या—1, पथ में निम्न दर की स्थानीय बालू का प्रयोग किये जाने, पथ में कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने तथा रू0 91,512.00/—का अधिक भुगतान किये जाने से संबंधित है। आरोप संख्या—2, योजना के chainage 4900-5100 में GSB कार्य की Thickness 175 mm के स्थान पर 125 mm से 150 mm पाये जाने तथा Local sand/Moorum की मात्रा प्रावधान से अधिक पाये जाने से संबंधित है।

दूसरे योजना से संबंधित आरोप पत्र में तीन आरोप गठित किये गये। आरोप संख्या—1, एकरारनामा में GSB की प्रावधानित मात्रा से अधिक भुगतान किये जाने से संबंधित है। आरोप संख्या—2, प्राक्कलन में अंकित मिट्टी भराई WBM Gr-II एवं WBM Gr-III की पूरी मात्रा का भुगतान किये जाने से संबंधित है एवं आरोप संख्या—3, जॉच की तिथि तक भी प्रथम वर्षीय अनुरक्षण कार्य शुरू नहीं करने से संबंधित है।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3310 अनु0 दिनांक—29.06.2020 एवं पत्रांक 3309 अनु0 दिनांक—29.06.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रथम योजना से संबंधित सभी आरोपों को प्रमाणित पाये जाने एवं दूसरे योजना से संबंधित आरोपों में से आरोप संख्या—1 को प्रमाणित तथा शेष आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए दोनों मामलों में संयुक्त रूप से विभागीय पत्रांक 1270 अनु0 दिनांक 07.07.2020 द्वारा श्री रजक से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री रजक द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में यह माना गया कि श्री रजक को आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

5.— उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री पुनेश्वर रजक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1454 अनु० दिनांक 07.09.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1680 दिनांक 07.10.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

7. अतः उक्त के आलोक में श्री पुनेश्वर रजक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बांका सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1540–सह–पठित ज्ञापांक–1541 दिनांक–22.09.2020 द्वारा अधिरोपित दंड के अतिरिक्त प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की मासिक कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/20.10.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1686 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1686 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1686 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :–जिला कोषागार पदाधिकारी, देवघर (झारखंड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1886 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, बांका/जिला कोषागार बांका/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1 एवं 2/अपर सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री पुनेश्वर रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–2, सम्प्रति सेवानिवृत। पत्राचार का स्थायी पता–ग्राम–श्रीकांत मार्ग, बेला बगान, पो0–डाबर ग्राम, थाना–देवघर, जिला–देवघर, झारखंड, पिनकोड–814112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1886 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना को आयोग के पत्रांक 1680 दिनांक 07.10.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1886 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1886 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–86/2016 1886 /पटना, दिनांक :– 2.11.2020

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.20

उप सचिव